न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2023/146

अपील संख्या – 84/23

मथुरालाल पुत्र स्व0 राध्या गुर्जर दत्तक पुत्र स्व0 कंवरपाल जाति गुर्जर निवासी आंधोली तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर — अपीलांट

बनाम

1. कैलाश
2. बलास
3. हरकेश
4. रामकेश
5. कालूराम पिसरान स्व0हजारी लाल जातियान गुर्जर निवासी ग्राम आंधोली तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर — रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय मु0नं0 41/22 दिनांक 25.7.2023 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री रघुनन्दन सिह

अभिभाषक रैस्पो0 सौराज गुर्जर — दिनांक 7.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 25.7.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 245 रकबा 2.43 है0 मे तथा ख0न0 244 रकबा 0.0800 है0 किस्म बारानी 2 की उत्तरी मेड पर होकर 15 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जा[illegible] न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर [illegible] उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायलय द्वारा केवल मात्र तहसीलदार चोथ का बरवाडा से आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मौका देखने की कोई सूचना नही दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियमो की पालना नही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जबाव प्राप्त किये बिना ही निर्णय पारित किया है। रेस्पो0 का कदीमी रास्ता ख0न0 160 व 161 के बीच स्थित मेड से होकर आज वर्तमान तक चला आ रहा है रेस्पो0 को वेकल्पिक रास्ता पूर्व से विधमान है। जब पूर्व से रास्ता मौजूद है तो नया रास्ता धारा 251 ए के तहत पूर्व से विधमान रास्ता के अतिरिक्त नया रास्ता दिलवाये जाने का प्रावधान नही है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 8.10.23 को होने से नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की है फिर भी देरीना कन्डोन फरमाये जाने के लिए दफा 5 अलग से संलग्न कर निवेदन है कि अपील पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाया जावे। रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार लैण्ड होल्डर को पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2019 डीएनजे पेज 63, 2018 जीएनजे पेज 65 एवं 2017 डीएनजे पेज 168 पेश किये है।

रेस्पो0 ने अपील बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो/प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा न0 196 रकबा 0.10 है0 व 197 रकबा 1.33 है0 तथा 198 रकबा 1.18 है0 कुल रकबा 1.61 है0 वाके ग्राम आन्धोली रेस्पो0/प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी है उक्त खसरा नम्बरान पर पहुँच का कोई वेकल्पिक रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही होने पर ही अधिनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अपीलांट/प्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तत्पश्चात उनकी तरफ से अधिनस्थ न्यायालय मे वकालत नामा पेश हुआ है। जिनको प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु उनके द्वारा जबाब प्रस्तुत नही करने के कारण जबाब बंद किया जाकर रास्ते के संबंध मे तहसीलदार चौथ का बरवाडा से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा न0 196 रकबा 0.10 है0 व 197 रकबा 1.33 है0 तथा 198 रकबा 1.18 है0 कुल रकबा 1.61 है0 पर जाने के लिए खसरा न0 244 रकबा 0.08 है0 सिवायचक भूमि मे से उत्तरी मेड पर 48 मीटर लम्बा 4 मीटर चोडा अर्थात 192 वर्गमीटर खसरा न0 245 रकबा 2.43 है0 खातेदारी भूमि जो अपीलांट मथुरालाल दत्तक पुत्र कंवरपाल जाति गुर्जर के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज के उत्तर पूर्वी कोने से 90 मीटर लम्बा 4 मीटर चौडा अर्थात 360 वर्गमीटर कुल 552 वर्गमीटर रास्ता डीएलसी दल से दो गुना रास्ता जमा कराने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजी खसरा न0 196, 197 व 198 पर आने जाने हेतु भूमि खसरा न0 244 रकबा 0.08 है0 सिवायचक भूमि एवं खसरा न0 2.45 रकबा 2.43 है0 खातेदारी भूमि जो अपीलांट मथुरालाल दत्तक पुत्र कंवरपाल जाति गुर्जर मे से प्रार्थी/रेस्पो0 को पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता प्रदान किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये रास्ते मे अपीलांट/अप्रार्थीगण की भूमि 360 वर्गमीटर का डीएलसी रेट की दुगनी राशि खातेदार मथुरा का दिलवाई जाकर राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किया गया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा न0 245 रकबा 0.08 है0 सिवायचक भूमि मे से 192 वर्गमीटर भूमि मे से रास्ता प्रदान करने की एवज मे क्षतिपूर्ति बाबत राशि राजकोष मे जमा कराने हेतु प्रार्थी/रेस्पों0 को नही दिये गये है साथ ही केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट 13.6.23 को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। राजस्व मंडल एवं अन्य उच्च न्यायालयो द्वारा यह मत निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 251 (क) के मामलो मे रास्ता प्रदान करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं मौका निरीक्षण करे या निरीक्षक भू अभिलेख से नीचे के कम अधिकारी से निरीक्षण न कराये और प्रभावित पक्षकारो से आपत्तियां आमंत्रित करे, इन शर्तो की पालना किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो एक अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 41/2022 निर्णय दिनांक 25.7.23 को आपस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे सिवायचक राजकीय भूमि मे से रास्ते हेतु दी जाने वाली भूमि की दर निर्धारण करते हुए निर्धारित राशि राजकोष मे जमा कराने की शर्त पर तथा तहसीलदार या भू0अ0निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का नियमानुसार निरस्तारण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के समक्ष दिनांक 05.11.2024 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/10/24

(लक्ष्मी कांत बालोत)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner